



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम),  
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 322-पारे०अनु०-०४/पाट्राकालि-2024-20/2009 टी०सी०

दिनांक: 17 मई, 2024

मुख्य अभियन्ता (पारे० क्षेत्र दक्षिण-पूर्व) / (पारे० क्षेत्र उत्तर-पूर्व) /  
(पारे० क्षेत्र दक्षिण-मध्य) / (पारे० क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम) /  
(पारे०प०) / (पारे०म०) / (संचार एवं नियंत्रण) /  
(ऊर्जा प्रणाली परिचालन) / (सी०एम०यू०टी०) /  
(765 एवं 400 के०वी० परिकल्पना इकाई) / (नियोजन) /  
(जानपद पारेषण-प्रथम / द्वितीय) /  
उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०,  
प्रयागराज / गोरखपुर / झाँसी / आगरा / मेरठ / लखनऊ।

विषय: विद्युत मजदूर संगठन, उ०प्र० के वार्षिक सम्मेलन हेतु विशेष अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अध्यक्ष, विद्युत मजदूर संगठन, उ०प्र० से प्राप्त पत्र सं०-०९/विमस/ट्रांसको, दिनांक: 07.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि उनके संगठन का 74 वाँ वार्षिक सम्मेलन दिनांक 21 एवं 22 मई, 2024 को संगठन के केन्द्रीय कार्यालय जी-107 हमबरा अपार्टमेंट श्यामा चौराहा, नरही, लखनऊ में प्रस्तावित है। उन्होंने अनुरोध किया है कि उक्त तिथियों का "विशेष अवकाश" प्रदान किया जाए।

संगठन के उपरोक्त आग्रह के संदर्भ में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि पूर्ववर्ती परिषद् के आदेश संख्या-3488बी/एसईबी/एस-17(8एच)/78 दिनांक 05.12.1983 में निहित प्राविधानों के अनुसार संगठन के उन सदस्यों को, जो सम्मेलन में भाग लेने के इच्छुक हो उन्हें 21 एवं 22 मई, 2024 का "विशेष आकस्मिक अवकाश" कार्यों की आवश्यकता एवं आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा (प्रारूप आवेदन-पत्र पर) स्वीकृत किया जायेगा।

अतः मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी संगठन के सदस्यों, जो उक्त अधिवेशन में सम्मिलित होना चाहें, को उनके व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र पर "विशेष आकस्मिक अवकाश" कार्यालय ज्ञाप संख्या-5948(औ०सं०)-17/पाकालि/03-188ए०एस०/96 दिनांक 31.12.2003 सपटित कार्यालय ज्ञाप संख्या-5820(औ०सं०)-17/ पाकालि/03-188ए०एस०/96 दिनांक 04.12.2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कृपया स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण-111)

संख्या: 322 (1)-पारे०अनु०-०४/पाट्राकालि/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
- महाप्रबन्धक (औ०सं०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अपर सचिव (पारेषण), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप सचिव (पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (सं०) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट [www.upptcl.org](http://www.upptcl.org) पर अपलोड करने हेतु।
8. अध्यक्ष, विद्युत मजदूर संगठन, उ०प्र० को उनके पत्र सं०-09/विमस/ट्रांसको, दिनांक: 07.05.2024 के संदर्भ में।

*Satyam*

(सत्याम गंगवार)

उप सचिव (पारेषण-111)

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत सभी आदेशों का अतिरिक्त करते हुए परिषद में कार्यरत पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के कार्यवाही प्रतिनिधियों को वार्षिक सामान्य-सभा एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को बैठकों में भाग लेने के लिये विशेष आकस्मिक अवकाश को स्वीकृति हेतु परिषद निम्नलिखित मार्गदर्शिका, संदर्भ निर्धारित करते है:-

- (1) विशेष आकस्मिक अवकाश केवल परिषद में कार्यरत पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के व्यर्थ (Bonafide) कर्मचारी सदस्यों को वार्षिक सामान्य सभा एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को बैठकों में भाग लेने के लिये ही स्वीकृत किया जाएगा। उन पंजीकृत यूनियनों को यह सुविधा जहां किसी यूनियन अध्यक्ष केवल केवल के साथ संयुक्त बैठकों हेतु प्राप्त न होगी।
- (2) इस प्रकार का विशेष आकस्मिक अवकाश किसी भी विशिष्ट पंजीकृत ट्रेड यूनियन को वर्ष में केवल एक बार वार्षिक सामान्य-सभा के लिये व एक बार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के लिये स्वीकृत किया जायेगा।
- (3) विशेष आकस्मिक अवकाश वार्षिक सामान्य सभा के लिये दो दिन एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के लिये एक दिन से अधिक न होगा।
- (4) पंजीकृत ट्रेड यूनियन को परिषद के आदेशानुसार विशेष आकस्मिक अवकाश के साक्षात् में अवकाश मिले जाने से लिये से कम से कम 21 दिन पूर्व इस उद्देश्य के लिये निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में आवेदन करना होगा।
- (5) परिषद के इस सम्बन्ध में स्वीकृति आदेश निर्गत हो जाने के उपरान्त कर्मचारी प्रतिनिधियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाने के लिये ससम अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत करने के लिये अनुलग्नक-2 के प्रारूप पर आवेदन करना होगा।
- (6) कोई कर्मचारी/ट्रेड यूनियन अधिकारी विशेष आकस्मिक अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं। यह अवकाश ससम-अधिकारी द्वारा ही देना होगा जो आवश्यकतओं की ध्यान में रखकर ही स्वीकृत किया जायेगा तथा इसका पूर्ण निरूपण निम्नलिखित सम्बन्धित अधिकारी होगा।
- (7) उपरोक्त प्रस्ताव (6) के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य-सभा को बैठक में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश उक्त कार्यालय/दफ्तर में कार्यरत कुल कर्मचारियों को केवल के 20% से अधिक प्रतिनिधियों को देना नहीं होगा। इसी भीति व्यर्थ कर्मचारी प्रतिनिधियों को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति में भाग लेने हेतु केवल आकस्मिक बैठक के दिन के लिये दो अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

- (8) विवाद की स्थिति में निहित/निष्पत्ति कार्यवाही को अकारण प्रदान किया जाय, का निर्णय स्थानीय अधिकारियों द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों (1) से (7) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्थानीय शान्ति के संजोक्त ट्रैड यूनियन के पदाधिका से किया जायेगा ।
- (9) उक्त प्रस्तावों के प्रावधानों में निहित किसी कार्यवाही को अकारण खींचा हो जाने पर अकारण अर्थात् को लखविले गैनुअल-आफ-आइस में निहित प्रावधानों अन्तर्गत परिस्थितियों, अपरिहार्य व विशेष कारणों से दे-विशेष आदेशिक अकारण में से खींचा अकारण उस सीमा तक आ जा दिया जायेगा ।
- (10) उपरोक्त को बौद्धिक, शैक्षिक, मंडलीय, क्षेत्रीय व प्रयोगना स्तर को खींचो के लिये, उक्त निहित उद्देश्य के लिये किसी प्रकार का विशेष आदेशिक अकारण दे-न लेगा ।

2- यह भाग दरिद्रता संशोधन द्वाारा मान्यता प्राप्त ट्रैड यूनियनो पर लागू होगा । गैर मान्यता प्राप्त ट्रैड यूनियनो के सम्बन्ध में उपरोक्त कार्य हेतु विशेष आदेशिक अकारण खींचा अर्थात् खींचा करने का अधिकार परिषद द्वारा रहते है ।

3- परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संघसंघों के सम्बन्ध में विशेष सूचना रूप से निर्मित किने जायेंगे ।

4- कृपया इन आदेशों को सभी सम्बन्धित अधिकारियों के ज्ञान में रखी-रखवाये हेतु ता दिया जाय ।

अध्या

सं० 13488 (9) को/रा.वि.म.० (जो.सं. 17)-8सं/78 नदिनीक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यावली हेतु प्रेषित :-

- 1- उपरत मुख्य अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य अधिकारी/महाप्रबन्धक/मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज विद्युत परिषद ।
- 2- मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश राज विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 3- समस्त अधीकार-भारता/अधिशाली अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज विद्युत परिषद ।
- 4- समस्त क्षेत्रीय क्षेत्रधिकारी, /परिचालना क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश राज विद्युत परिषद
- 5- समस्त वरिष्ठ कार्यिक अधिकारी/अतिरिक्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज विद्युत परिषद
- 6- उपरत अधिकारी-महा /अनुभाग, परिषद मुख्यालय ।
- 7- परिषद में कार्यरत संजोक्त ट्रैड यूनियनो ।

आशा है,

*(Handwritten Signature)*  
 दिनांक 3/12/83

संख्या- 5948-औस-17/पाकालि/2003-198एनक/96

दिनांक 31 दिसम्बर 2003

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3488-बी/राविप (औस-17)-8एच/78 दिनांक 5-12-1983 से प्रजीकृत श्रम सघों के कर्मचारी सदस्यों/प्रतिनिधियों को वार्षिक अधिवेशन एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गयी है। निर्गत परिपत्र के अनुलग्नक-दो पर ही श्रम सघों के सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर ही नियंत्रक अधिकारी द्वारा विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की नीति है।

इस सम्बन्ध में कालान्तर में यह अनुभव किया गया है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 5-12-1983 के अनुलग्नक-दो के अनुसार अत्रीय अधिकारियों द्वारा अधिवेशन/सम्मेलनों हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और न ही इस प्रकार का कोई अभिलेखीय प्रमाण रखा जा रहा है। परिणामस्वरूप कर्मचारी वर्ष में विभिन्न संगठनों के अधिवेशनों में अवकाश का लाभ उठा लेते हैं।

अतः पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3488-बी/राविप(औस-17)-8एच/78 दिनांक 5-12-1983 के अनुलग्नक-दो की प्रति संलग्न करते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक प्रजीकृत श्रम/सेवा संगठन को अधिवेशन/सम्मेलन हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का निर्णय में संगठन के प्रत्येक सदस्य/कर्मचारी से निर्धारित प्रारूप में (अनुलग्नक-दो) में आवेदन प्राप्त करके ही विशेष आकस्मिक अवकाश नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अनुमत्त किया जाय तथा उसे कार्यालय अभिलेख में उक्त प्रकार रखा जाए जिस प्रकार आकस्मिक अवकाश का रिकार्ड रखा जाता है तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक कर्मचारी का श्रम/सेवा संगठन के अधिवेशन हेतु वर्ष में कतल एन्टर ही अधिवेशन/कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश के उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

उक्त आदेशों का कड़ाई एवं निष्ठापूर्वक अनुपालन प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

सलग्नक यथोपरि।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 5948-औस-17/पाकालि/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


- 1- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 4, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।
- 6- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

- 8- समस्त उपमहाप्रबन्धक (लेखा/निधि/सम्प्रदा), उपमुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं लेखाधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०।
- 9- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०।
- 10- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि०।
- 11- समस्त अधिकारीगण/अनुभाग/शिविर, उ०प्र०पा०का०लि०।
- 12- पादर कारपोरेशन के समस्त श्रम/सेवा संगठन।
- 13- कट फाइल।

आज्ञा से,



(के० सी० सक्सेना)  
कार्मिक अधिकारी



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. POWER CORPORATION LIMITED  
(Govt. of U.P. Undertaking)

शक्ति भवन, 14-अशाह मार्ग  
लखनऊ-228 001

संख्या- 5820- आस-17/पाकालि/04- 188एएस/98

दिनांक : 04-दिसम्बर 2004


प्रकाश निदेशक, मध्यांचल, वि०वि०नि०लि०, लखनऊ / दक्षिणांचल, वि०वि०नि०लि०, आगरा। /  
परिपूर्णांचल, वि०वि०नि०लि०, मेरठ / पूर्वांचल, वि०वि०नि०लि०, वाराणसी /  
प्रकाश निदेशक, झीरको, छानपुर।  
मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशनलि०, लखनऊ।  
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उप-महाप्रबन्धक उ०प्र०पा०का०लि०।  
महाप्रबन्धक (लेखा / निधि / सामग्री) उ०प्र०पा०का०लि०।

विषय : श्रम / सेवा संघों के वार्षिक महाधिवेशन हेतु विशेष आकरिक अवकाश स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या-5948-आस-17/ पाकालि/2003- 188एएस/98 दिनांक 31.12.2003 की और आपका खाना आकृष्ट करते हुए पुरो यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्ववर्ती परिपत्र के आदेश संख्या-3188-बी/राशि/आस-17-8एच/78 दिनांक 05.12.1983 में विहित आदेशों में त्रुटियों के अर्थात् पंजीकृत श्रम/सेवा संघों के कर्मचारी सदस्यों/प्रतिनिधियों/संघ/संगठन के वार्षिक अधिवेशन एवं केन्द्रीय कार्यकारणी की बैठकों में भाग लेने हेतु विशेष आकरिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इस सम्बन्ध में ऐसा अनुपात किया गया है कि बहुधा कर्मियों द्वारा कई संघ/संगठनों के अधिवेशनों में विशेष आकरिक अवकाश का उपयोग कर लिया जाता है, जो नियमानुसार नहीं है।  
अतः मुझे पुनः यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक पंजीकृत श्रम/सेवा संगठनको वार्षिक अधिवेशन/सम्मेलन हेतु विशेष आकरिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की दशा में संगठन के प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से उक्त कारपोरेशन आदेश दिनांक 31.12.2003 में विद्यमान प्राकृतिक अवकाश पत्र प्रकाशक विशेष आकरिक अवकाश वर्ष में केवल एक बार एक संगठन के अधिवेशन में भाग लेने हेतु अनुमति किये जायें तथा इस अवकाश की प्रतिष्ठि कार्यालय अभिलेखों में रखी जाए।  
कृपया इन आदेशों का कठोर एवं निष्ठापूर्वक अनुपालन प्रत्येक नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय,

  
( एल०आर० जाटव )  
उप-महाप्रबन्धक (ओएसओ)

प्रकाशन संख्या- 5820(1)/पाकालि-आस-17- /04 तददिनांक।

- (1) प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आकरिक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-  
समस्त उप-महाप्रबन्धक (लेखा/निधि/सामग्री), उप-मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, एवं लेखाधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०।
- (2) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०।
- (3) पावर कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग/शिक्तिर।
- (4) समस्त श्रम / सेवा संगठन।
- (5) कट फाइल।

आज्ञा से,  
  
(कौशन चन्द्र सक्सेना)

परिषदाज्ञा संख्या 4388-बी / राविप(ओस-17)-8एच / 78 दिनांक 5-12-1983 का अनुलगनक-दो  
(संशोधित प्रारूप)

संघ में,

महोदय,

निवेदन है कि मैं ..... (श्रम/संघ/संघ) ..... का सदस्य हूँ जिसका/जिसकी  
वार्षिक अधिवेशन/केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक ..... (स्थान का नाम) दिनांक ..... को  
हा रहा है/रही है। मैं अनुग्रहीत होऊँगा कि मुझे दिनांक ..... से ..... तक का विशेष  
आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

2- उपरोक्त के तारतम्य में मैं यह घोषणा करता हूँ कि -

- (क) उक्त अवधि में विशेष आकस्मिक अवकाश का उपयोग केवल अपने संगठन के वार्षिक  
अधिवेशन/केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए ही करूँगा।
- (ख) संघ/संगठन के वार्षिक अधिवेशन/केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पूर्ण अनुशासन  
रखूँगा तथा कोई अवैधानिक कार्य जैसे शासन/कारपोरेशन के विरुद्ध पोस्टर लगाना, रैली  
निकालना, घेराव करना, प्रदर्शन करना, अनशन, हड़ताल आदि नहीं करूँगा और न ही शासन/कारपोरेशन के  
कार्य-स्थलों/कार्यालयों पर एकत्रित होऊँगा तथा कारपोरेशन कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करूँगा।
- (ग) यदि ऐसा पाया गया कि मैं उपरोक्त संगठन का सदस्य नहीं हूँ या मैंने विशेष आकस्मिक  
अवकाश का उपयोग किसी और कार्य के लिए किया या किसी और प्रकार का उत्पन्न किया  
तो उस स्थिति में मैं अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होऊँगा।

दिनांक-.....

भवदीय,

कर्मचारी के हस्ताक्षर

कर्मचारी का नाम व पदनाम

नियुक्ति ईकाई/स्थान